	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/4/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.। ~~वास्ते बहस आर्डर हेतु~~ पत्रावली दिनांक 9/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
~~9/5/25~~	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. साहब कुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई आज बार क्लि नगर की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
16/5/25	पत्रावली पेश हुई आज बार क्लि... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/7/25 को पेश हो।	
4/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उपस्थित। P.O. साहब कुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/9/25 को पेश हो।	
12/9/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.। वास्ते अंतिम बहस पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	
28/11/2025	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप। बहस सुनी गई। तहसीलदार मौका जांच तथा TRA ... रिपोर्ट की नकल ... पत्रावली वास्ते ... हेतु दिनांक 4/12/2025 को पेश हो	
4/12/2025	पत्रावली पेश हुई। निर्णय पृथक से ... शामिल पत्रावली ... पत्रावली ... बाद ... के ...	

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम (अराई) अजमेर
व इजलास श्रीमति नीतु मीना (आर.ए.एस)
मुकदमा न0 90/2020

1.गुमान पत्नी रामकिशन, जाति जाट, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

2 शकर पुत्र रामकिशन, जाति जाट, आयु 28 वर्ष, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

3.सकराम पुत्र रामकिशन, जाति जाट, आयु 26 वर्ष, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1.गोपाल पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

2 हंसराज पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

3 ज्ञानाराम पुत्र श्री रामरतन, जाति जाट, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

4. प्रेम पुत्र रामरतन, जाति जाट, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

5. रणजीत पुत्र रामरतन जाति जाट, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

6.रामेश्वरी पत्नी रामरतन, जाति जाट, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

7. शंकर पुत्र शैतान, जाति जाट निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

8 सुमन पुत्री शैतान, जाति जाट, निवासी खेडा गोपालपुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान।

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसील अराई, जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 4/2/26

उपस्थितः वकील प्रार्थी इन्द्रेश कुमार,भवानीसिंह एडवोकेट **वकील अप्रार्थी एकपक्षीय**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार,भवानीसिंह के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह कि प्रार्थीगण ग्राम खेडा गोपालपुरा, पटवार हल्का झाडोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोडिया के खसरा संख्या 187 रकबा 3.1470 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय के सह खातेदार है। प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 186 रकबा 5.1452 हेक्टर किस्न दारानी द्वितीय एवं बारानी प्रथम के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 सह खातेदार है। उपरोक्त भूमि की अगरी पत्नी रामचन्द्र भी सह हिस्सेदार है। जिसका देहावसान हो चुका हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ही उपरोक्त भूमि के सह हिस्सेदार है। खसरा संख्या 186 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 184 व 203 है। खसरा संख्या 203 का राजस्व रिकार्ड में किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज है एवं खसरा संख्या 184 रास्तें से छोटी पट्टी होने के कारण उपरोक। खसरा संख्या 203 के समरूप रास्ते के उपयोग में आती है एवं प्रार्थीगण सहित, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत ४ उपरोक्त खसरा संख्या 184 से ही स्वयं की भूमि पर आवागमन करते है। प्रार्थीगण की खसरा संख्या 187 के पूर्व दिशा में सासरा संख्या 188 की भूमि है एवं खसरा संख्या 188 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 180 की भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 187 के दक्षिण दिशा में खसरा

संख्या 472/182 एवं 474/185 की भूमि है एवं उत्तर दिशा में खसरा संख्या 189 गै०मु० पाल है एवं खसरा राख्या 189 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 190 की भूमि हैं। जिसके प्रार्थीगण खातेदार, काविज, काश्तकार है। इस प्रकार खसरा संख्या 187 व 189 से अनुसंलग्न चाराओं दिशाओं में आवागमन के लिये कोई तरमीमशुदा निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं की उपरोक्त खसरा संख्या 187 पर पहुंच हेतु उपरोक्त खसरा संख्या 203 व 184 के प्रचलित रास्तें से आवागमन कर, खसरा सख्या 186 की पश्चिमी सींव से प्रवेश कर, पश्चिम से पूर्व आकर आवागमन करते–कराते आ रहे है एवं प्रार्थीगण के आवागमन हेतु प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 187 तक पहुंद के लिये अन्य कोई निकटतम एवं लघुत्तम अन्य रास्ता भी नहीं है। प्रार्थीगण, अप्राथर्थी संख्या 1 लगायत ४ के मिलकीयत की खसरा संख्या 186 के पश्चिम से पूर्व तक 25 फीट चौडा एवं लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवाकर, रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते है एवं वर्तमान में यह रास्ता मौके पर प्रचलित भी है। जिसे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसंलग्न मानचित्र में लाल रंग से चिन्हित किया गया है। यह मानचित्र इस प्रार्थना पत्र का एक अंग है। उपरोक्त रास्ता राजस्व ट्रेस में तरमीम नही होने से एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 अन्य विवादों के रहते हुये प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा करते हैं। दिनांक 04.06.2020 को प्रार्थीगण उपरोक्त खसरा संख्या 187 पर काश्त हेतु अपने ट्रेक्टर को ले जाने लगे तो अप्रार्थी संख्या 1. 2 प्रार्थीगण से आमादा फसाद होकर आवागमन में बाधा करने लगे। जिस कारण से प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मानचित्र में चिन्हित लाल रंग से दर्शित भूमि को रास्तें के रूप में दर्ज करवाये। प्रार्थीगण इस बाबत् जो भी नियमानुसार माननीय न्यायालय द्वारा रास्ते हेतु आई भूमि के बाजार मूल्य अवधारित कर, बाजार मूल्य से दुगुनी राशि निक्षेपित करवाने के आदेश करती हैं, उक्त आदेश का पालन करने के लिये प्रार्थीगण इच्छुक, तत्पर, सहमत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अधीन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तरविष्ट अनुसूची–तृतीय के अधीन माननीय न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकारिता में न्यस्त करता है। अप्रार्थी संख्या 10 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा वर्णितानुसार रास्ते बाबत कोई आदेश किया जाता है तो इसका अंकन अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा अपने संधारित राजस्व रिकार्ड में किया जाना है। अतः उन्हें पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के अधिकार, खातेदारी, मिलकीयत के खसरा संख्या 187 रकबा 3.1470 हैक्टर पर पहुंच के लिये प्रार्थना पत्र अनुसंलग्न मानचित्र मेंअप्राथी सख्या 1 लगायत 8 के खसरा संख्या 186 के पश्चिम से पूर्व तक 15 फीट चोडे रास्ते भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ते के रूप में दर्ज कर राजस्व ट्रेस में तरमीम करवाये जाने की आदेश प्रार्थीगण के पक्ष एवं अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 8 के विरुद्व पारित की जायें। प्रकरण परिस्थितियों में अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से दिलवाया जाना उचित समझाती हो कि भी डिकी प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 8 के विरुद्व पारित किये जाने हेतु निवेदन किया है ।

. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र दिनांक 15.6.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 13.5.2022 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। तहसीलदार अराई की जांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2020/861दिनांक 16.9.2020 तथा टीआरए गणना दिनांक 6.2.2026 पेश हुई । तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम अराई के ख0नं0 986 में आवागमन हेतु ख0नं0 985 के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम मार्ग नही है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15 चोडे रास्ते हेतु स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः–

–: आदेश :–

प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम गोपालपुरा के ख0नं0 986 में आवागमन हेतु ख0नं0 985 में चाहा गया रास्ता निकटतम होना अंकित किया है । तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2020/861दिनांक 16.9.2020 तथा टीआरए गणना दिनांक 6.2.2026 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि खसरा नं0 187 में आवागमन हेतु खसरा नं0 186 के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम मार्ग नही है । डीएलसी दर

393000 रूपये प्रति हेक्टैयर की दर से 15 फीट चोडे रास्ते हेतु भूमि का क्षेत्रफल 0.0666 हैक्टेयर से कुल 26175 रूपये बनती है । जिसकी दुगुना राशि 52350/— अक्षरे बावन हजार तीन सो पचास रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वाद अधीन भूमि ग्राम गोपालपुरा तह0 अराई के खसरा नं0 187 में आवागमन हेतु 15 फुट चोडे रास्ते हेतु राशि 52350/— प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)